



# राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर

(Phone: 0141-2227481, FAX: 2227602, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

Email: [rslsajp@gmail.com](mailto:rslsajp@gmail.com), [ftsrslsa@gmail.com](mailto:ftsrslsa@gmail.com), website: [www.rlsa.gov.in](http://www.rlsa.gov.in)

क्रमांक एफ-5 ( )एफ.टी.एस./एन.एल.ए/2022/3743

दिनांक 14.10.2022

## सूचना राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 12.11.2022

सभी विद्वान अधिवक्तागण को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन व ऑनलाईन माध्यमों से दिनांक 12.11.2022 (द्वितीय शनिवार) को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर में किया जा रहा है।

उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्न प्रकृति के प्रकरणों को रखा जा रहा है—

### (I) प्री-लिटिगेशन प्रकरण (Pre-Litigation Cases) –

1. किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग/उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के प्रयास)।
2. मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित क्लेम के विवाद।
3. घातक दुर्घटना अधिनियम से संबंधित क्लेम के विवाद।
4. धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम (NI Act) के विवाद।
5. धन वसूली के सभी प्रकार के विवाद (Agriculture Debt Relief Act के मामलों/Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act (SARFAESI Act, 2002) के तहत वसूली के हर प्रकार के मामलों सहित)।
6. गृहकर (House Tax)/नगरीय विकास कर (UD Tax) के विवाद (जो स्थानीय निकायों द्वारा वसूल किया जाता है)
7. शहरी जमाबंदी (Annual Lease Money) के विवाद (जो डवलपमेन्ट अथॉरिटीज/यूआईटी द्वारा वसूल की जाती है)
8. फसल बीमा पॉलिसी से संबंधित विवाद।
9. व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं ग्राहकों के मध्य विवाद।
10. श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद।
11. पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं यथा; निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, प्रसूति सहायता योजना, हिताधिकारी की सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यु या घायल होने की दशा में सहायता योजना, सिलिकोसिस पीड़ित हिताधिकारियों हेतु सहायता योजना, शुभ शक्ति योजना, निर्माण श्रमिक सुलभ्य आवास योजना, निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, निर्माण श्रमिक एवं उनके आश्रित बच्चों द्वारा भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा हेतु आयोजित प्रारम्भिक प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर प्रोत्साहन योजना, निर्माण श्रमिकों के पुत्र/पुत्री का आई.आई.टी./आई.आई.एम. में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना,

निर्माण श्रमिकों को विदेश में रोजगार हेतु वीजा पर होने वाले व्यय की पुनर्भरण योजना एवं निर्माण श्रमिक अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं हेतु प्रोत्साहन योजना, आदि से संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र।

12. बिजली, पानी, मोबाईल, क्रेडिट कार्ड एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित विवाद।
13. भरण-पोषण से संबंधित सभी प्रकार के विवाद।
14. राजस्व विवाद [सीमाज्ञान (पैमाइश)/पत्थरगढ़ी/जमाबन्दी-रिकॉर्ड शुद्धि/नामान्तरण/रास्ते का अधिकार, सुखाचार एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित]।
15. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 135 व 183बी के तहत आने वाले विवाद।
16. अन्य सभी प्रकार के सिविल विवाद।
17. सर्विस मैटर्स के विवाद (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधी विवादों को छोड़कर)।
18. उपभोक्ता विवाद।
19. जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित विवाद।
20. अन्य राजीनामा योग्य विवाद (जो अन्य अधिकरणों/आयोगों/मंचों/अथॉरिटी/आयुक्त/प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं)

**(II) माननीय उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण; (Cases pending in Court) :-**

1. धारा 138 एन.आई. एक्ट से संबंधित समस्त फौजदारी अपील/रिविजन/रिट याचिका/आपराधिक विविध याचिका अंतर्गत धारा 482 द.प्र.सं.।
2. पारिवारिक विवाद से संबंधित समस्त प्रकरण।
3. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), भरण-पोषण के विवाद/बच्चों की अभिरक्षा के प्रकरण/घरेलू हिंसा, आदि से संबंधित समस्त प्रकरण।
4. राजीनामा योग्य आपराधिक मामलों से संबंधित समस्त प्रकरण (फौजदारी अपील, फौजदारी निगरानी याचिकाएं, रिट याचिकाएं एवं आपराधिक विविध याचिकाएं)।
5. धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत दायर अन्य आपराधिक विविध याचिकाएं (05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं)।
6. मोटर दुर्घटना दावों से संबंधित समस्त सिविल मिसलेनियस अपीलें।
7. स्पेशल अपील (रिट)।
8. स्पेशल अपील (सिविल)।
9. समस्त दीवानी निगरानी याचिकाएं।
10. समस्त द्वितीय अपील।
11. समस्त दीवानी विविध अपील।
12. समस्त दीवानी विविध रिट याचिकाएं (अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से उद्भूत)।
13. अन्य दीवानी विविध रिट याचिकाएं (05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं)।
14. दीवानी सर्विस रिट याचिकाएं [05 वर्ष से अधिक पुरानी याचिकाएं] (पदोन्नति एवं वरिष्ठता संबंधित विवादों को छोड़कर)।
15. दीवानी सर्विस रिट याचिकाएं (केवल ट्रांसफर, पेंशन, सेवानिवृत्ति परिलाभ, वसूली, अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित)।
16. दीवानी प्रथम अपील (05 वर्ष से अधिक पुरानी अपीलें)।
17. राजस्व विवाद से संबंधित समस्त प्रकरण।

नोट:-

1. पक्षकार के आवेदन पर राजीनामा की संभावना वाले 05 वर्ष तक की अवधि के समस्त लम्बित प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जा सकेंगे।
2. राजस्थान सरकार एवं नागरिक के मध्य लम्बित मामलों में राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी, 2018 के तहत निराकरण के हर संभव प्रयास किये जावेंगे।

राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु प्री-काउंसलिंग दिनांक 12.10.2022 से प्रातः 10.30 बजे से सायं 04.30 बजे तक मध्यस्थता केन्द्र, पुराना भवन, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ, जयपुर में प्रारंभ है।

सभी विद्वान अधिवक्तागण एवं पक्षकारान से निवेदन है कि वे अपना प्रकरण उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यक्तिशः, ई-मेल, व्हाट्सएप संदेश आदि के माध्यम से रखवा सकते हैं, ताकि प्रकरणों का समझौते के माध्यम से लोक अदालत में निस्तारण हो सके।

प्री-काउंसलिंग में सूचीबद्ध होने वाले प्रकरणों की कॉज लिस्ट रालसा की वेबसाईट <https://rlsa.gov.in/NLACauselist.html> एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट <https://hcraj.nic.in/hcraj> पर उपलब्ध है।

सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय  
विधिक सेवा समिति, जयपुर  
दिनांक 14.10.2022

क्रमांक 3744-3755

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित है-

1. रजिस्ट्रार महोदय (प्रशासन), माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर।
2. अध्यक्ष महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एशोसियेशन, जयपुर।
3. सचिव महोदय, राजस्थान उच्च न्यायालय बार एशोसियेशन, जयपुर/बार एशोसियेशन, जयपुर/जिला बार एशोसियेशन, जयपुर/राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बार एशोसियेशन, जयपुर/पारिवारिक न्यायालय, बार एशोसियेशन, जयपुर/ऋण वसूली अधिकरण बार एशोसियेशन, जयपुर/वाणिज्यिक न्यायालय, बार एशोसियेशन, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को सभी अधिवक्तागण तक सम्प्रेषित करे।
4. निदेशक महोदय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना का विस्तृत रूप से प्रसारण करे।
5. नोडल अधिकारी महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को इस निवेदन के साथ प्रेषित है कि इस सूचना को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर की आधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
6. प्रबंधक, समस्त बीमा कम्पनी/बैंक।

सचिव

राजस्थान उच्च न्यायालय  
विधिक सेवा समिति, जयपुर